FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0264 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 16/09/2026 17:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शनिवार **Date From (दिनांक से):** 18/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 18/07/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:00 बजे **Time To (समय तक):** 15:55 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 16/09/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 16/09/2026 17:27:18 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH-EAST, 43 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** POLICE THANA NANA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** NENARAM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** LADURAM

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1971 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	REBARI VAS GORDHANPURA, NANA, PALI, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	REBARI VAAS GORDHANPURA, NANA, PALI, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJENDRA SINGH		पिता:CHHELSINGH	1. SUGALIYA SIDHNLANA,POST KNVALA,AAHOR,JALORE,RAJA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदयजी, निवेदन है कि दिनांक 18.07.2026 को वक्त 01.00 पी.एम. पर श्री नेना राम पुत्र श्री लाडू राम, जाति गरासिया, उम्र 55 वर्ष, निवासी रेबारी वास, गोरधनपुरा, पुलिस थाना नाणा, जिला पाली ने उपस्थित चौकी होकर मन कुयाराम निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो सिरोही को एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "दिनांक 15.03.2026 को चतरा राम वगैरह ने मुझ पर जानलेवा हमला कर मुझे गंभीर घायल कर दिया था जिसकी रिपोर्ट मेरे पुत्र रमेश कुमार द्वारा दिनांक 16.03.2026 को पुलिस थाना नाणा में दी जिस पर मुकदमा संख्या 76/2026 दर्ज किया गया विरोधी पक्ष के छतराराम ने मेरे बेटों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट देकर क्रॉस मुकदमा संख्या 77/2026 दर्ज करवाया। उस मुकदमें में मदद करने एवं मेरे बेटे रमेश कुमार वकिल व अन्य का झूठे मुकदमें में से नाम निकालने कि एवज में पुलिस थाना नाणा के जांच अधिकारी राजेन्द्र सिंह जी एएसआई साहब द्वारा मुझसे दस हजार रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। मेरे बेटों के खिलाफ दर्ज मुकदमें की घटना के समय मेरा बेटा रमेश कुमार व सांताराम मेरे साथ अस्पताल में ईलाज करवा रहे थे । इस प्रकार मेरे बेटे घटना में शामिल नहीं होने के बावजूद उनके विरूद्ध दर्ज मुकदमें से नाम निकालने के जायज कार्य की एवज में मैं राजेन्द्र सिंह जी साहब को दस हजार रूपये रिश्वत के रूप में नहीं देना चाहता हूं मेरी राजेन्द्र सिंह जी एएसआई साहब से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, तथा ना ही हमारा कोई लेन-देन बकाया है। मैंने यह रिपोर्ट पेशे से वकिल मेरे पुत्र रमेश कुमार से लिखवाई है जो मेरे पुत्र रमेश कुमार ने मेरे कहे अनुसार ही लिखी है। अतः मेरी रिपोर्ट पर राजेन्द्र सिंह जी एएसआई साहब के विरूद्ध नियमानुसार ट्रेप कार्यवाही करने की कृपा करावें।" वगैरह। दरियाफ्त पर नेना राम द्वारा उक्त रिपोर्ट स्वेच्छा से अपने विश्वस्त पुत्र वकिल रमेश कुमार से लिखवाकर लाना, रिपोर्ट के बारे में अन्य किसी व्यक्ति को एसीबी कार्यवाही करवाने की कोई जानकारी नहीं होना तथा रिपोर्ट में वर्णित सभी तथ्य सही होना बताया। प्राप्त रिपोर्ट के संबन्ध में श्री रामेश्वरलाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही से जरिये दूरभाष हालात निवेदन किये जाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पढ़कर सुनाई गई। रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों से पुलिस थाना नाणा के एएसआईपी द्वारा श्री नैना राम के पारिवारिक सदस्यों के विरूद्ध दर्ज मुकदमें में उनको गिरफ्तार नहीं करने की एवज में लोकसेवक के पदीय कर्तव्यों के विपरीत परिवादी से अवैध रूप से रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्ट्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आना पाया जाने से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो से प्राप्त निर्देशों की पालना में प्रथमतः परिवादी की शिकायत का गोपनीय रूप से सत्यापन करवाने का निर्णय लिया जाकर श्री किशोर कुमार आरक्षी नंबर 436 भ्रनिब्यूरो सिरोही की कार्यालय हाजा पर तलबी की गई तथा उपस्थित परिवादी श्री नेना राम का परिचय देकर दोनों का परस्पर परिचय करवाया जाकर दोनों के मोबाईल नंबरों का आदान-प्रदान करवाया जाकर ब्यूरो का डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस द्वारा खाली होना सुनिश्चित कर नया मैमोरी कार्ड डाल कर कानिस्टेबल श्री किशोर कुमार आरक्षी नंबर 436 को सुपुर्द कर परिवादी श्री नेना राम के साथ जाकर परिवादी की शिकायत का गोपनीय रूप से सत्यापन करवाकर लाने हेतु निर्देशित किया गया। उसी रोज वक्त 02.15 पी.एम. पर कानि. श्री किशोर कुमार नंबर 436 मय ब्यूरो कार्यालय की डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के परिवादी श्री नेना राम के साथ परिवादी की निजी बोलेरो वाहन से वास्ते रिष्वती राषि मांग सत्यापन हेतु पुलिस थाना नाणा जिला पाली की तरफ रवाना किया जाकर बाद सत्यापन परिवादी सहित पुनः ब्यूरो चौकी सिरोही पर उपस्थित होने सहित आवश्यक हिदायत प्रदान की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं की अलमारी में अपने कब्जे में सुरक्षित रखी। तत्पचात् वक्त 05.00 पी.एम. पर उपरोक्तानुसार रवाना शुदा कानि. श्री किशोर कुमार नंबर 436 मय परिवादी श्री नेना राम के उपस्थित चौकी आया व स्वीच ऑफ हालात में डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द करते हुए बताया कि चौकी हाजा से रवाना होकर वक्त करीब 03.20 पी.एम. पर पुलिस थाना नाणा जिला पाली के समीप पहुंच डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर मैनें स्वयं का परिचय देकर परिवादी को रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप हेतु पुलिस थाना नाणा में भेजा तथा मैं वहीं आस-पास गोपनीय स्थान पर अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के आने का इंतजार करने लगा। करीब आधा घंटा बाद वक्त करीब 03.55 पी.एम. पर परिवादी पुलिस थाना नाणा से बाहर आकर मुझे मिले जिनसे मैंने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डिंग डिवाईस प्राप्त कर बंद कर मेरे पास सुरक्षित रखी। तत्समय परिवादी श्री नेना राम ने बताया कि राजेन्द्रजी थानेदारजी ने मुझ से आज पुनः दस हजार रूपये की मांग की तथा मेरे पुत्र रमेश कुमार के बारे में मुझे धमकाते हुए कहा कि मैं उसको

वकालात करना भूला दूंगा। जिस पर मैंने दस हजार रूपये में से कुछ रूपये कम करने को कहा तो उन्होंने कम करने से इनकार करते हुए उल्टा यह बताया कि मैंने तुम्हारा जो काम किया है, उसके बदले आप मुझे दस हजार क्या एक लाख रूपये दो तो भी कम है। साथ ही उक्त दस हजार रूपये आज शाम को ही लाकर देने को कहा तो नेना राम जी ने सोमवार को सुबह तक लाकर देने हेतु निवेदन किया गया। जिस पर श्री किशोर कुमार कानि. के साथ में आए हुए हाजिर परिवादी श्री नेना राम से पूछने पर परिवादी श्री नेना राम ने भी उक्त कथनों को दोहराया। जिस पर उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर डिवाईस चालू करके उसमें रिकोर्डेड वार्तालाप को हैडफोन एवं स्पीकर के माध्यम से सुना गया तो कानि0 श्री किशोर कुमार एवं परिवादी श्री नेना राम के उपरोक्त कथनों की पुष्टि हुई। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही से निवेदन किये जाकर निर्देशानुसार उसी रोज शाम के समय अधिक हो जाने एवं राजकीय अवकाश होने की वजह से अविलंब स्वतंत्र गवाहों के उपलब्ध नहीं होने तथा परिवादी के पास आरोपी को दी जाने वाली दस हजार रूपये की रिश्वती राशि की व्यवस्था नहीं होने आदि कारणों के मध्य नजर परिवादी से विचार- विमर्श उपरांत अग्रिम कार्यवाही आगामी दिनों में उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार एवं परिवादी की सहूलियत के हिसाब से किये जाने का निर्णय लिया गया तथा परिवादी को प्रकरण के बारे में गोपनीयता बरतने की आवश्यक हिदायत कर आरोपी द्वारा परिवादी से जरिये दूरभाष संपर्क करने अथवा परिवादी के घर पर आकर या अन्य किसी भी माध्यम से जब कभी भी रिश्वत राशी की मांग की जाने पर अविलंब मन् निरीक्षक पुलिस को दूरभाष-जरिये मोबाईल सूचना देने की हिदायत कर प्रार्थी को अपने सकूनत के लिए रूखसत किया गया तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मन् निरीक्षक पुलिस की अलमारी में तालाबंद सुरक्षित हालात में रखा गया। दिनांक 20.07.2026 को वक्त 05.00 पी.एम. पर परिवादी श्री नेना राम ब्यूरो चौकी सिरोही पर उपस्थित होकर बताया कि मेरे रिश्तेदारों की एएनएम की नौकरी ज्वॉईन करवाने जसवंतपुरा जिला जालोर चले जाने के कारण देरी से ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित हो पाया हूं, हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही को निवेदन किये गये। प्रार्थी श्री नेनाराम को आरोपी श्री राजेन्द्रसिंह सउनिपु से कोई सम्पर्क होने के बारे में पूछने पर प्रार्थी ने बताया कि आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह एएसआई द्वारा मेरे से किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं किया है तथा न ही पैसे देने के लिए कोई फोन कॉल आया है। जिस पर परिवादी को बताया गया कि आप द्वारा आरोपी राजेन्द्र सिंह के साथ हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप में रिश्वत राशि मांग को स्पष्ट किये जाने के लिए नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब किया जाना आवश्यक है। आईंदा फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब करने में आपकी जरूरत रहेगी तो आप आपकी सुविधानुसार एवं बुलाये जाने पर यथासमय ब्यूरो चौकी सिरोही पर उपस्थित आवें ताकि नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा सकें। ईत्यादि हिदायत के बाद परिवादी श्री नेना राम को अपनी सकूनत के लिए रवाना किया गया। दिनांक 21.07.2026 को वक्त करीब 03.00 पी.एम. पर मन निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री नेना राम से जरिये दूरभाष संपर्क कर आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह एएसआई को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली दस हजार रूपये की राशि की व्यवस्था कर लाने हेतु चौकी पर आने की हिदायत दी गई। जिस पर परिवादी ने अगले दिन दिनांक 22.07.2026 तक रिश्वती राशि की व्यवस्था कर एसीबी चौकी सिरोही पर आना बताया। दिनांक 22.07.2026 को वक्त 11.00 ए.एम. पर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से श्रीमान तहसीलदार कार्यालय सिरोही को तहरीर जारी कर जरिये डिजीटल माध्यम से प्रेषित कर दो स्वतंत्र गवाहों के लिए कार्मिकों की तलबी की गई जिस पर वक्त 11.50 ए.एम. पर उपरोक्तानुसार तलबशुदा तहसील कार्यालय सिरोही से दो कर्मचारी उपस्थित आये जिनसे मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिचय पूछा गया तो क्रमश 01 श्री किशन राम पुत्र श्री पूनमा राम, जाति मेघवाल, उम्र- 55 वर्ष, निवासी मेघवालवास, झाड़ोली, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही हाल वरिष्ठ सहायक तहसील कार्यालय सिरोही व 02 श्री सुनील कुमार मीणा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीणा, जाति मीणा, उम्र- 27 वर्ष, निवासी मीणों का मौहल्ला नांगल जैसा वोहरा, झोटवाड़ा, पुलिस थाना खोरा बीसल, जिला जयपुर हाल पटवारी, पटवार मंडल बालदा, तहसील एवं जिला सिरोही के रूप में दिया। जिस पर उपस्थित दोनों कर्मचारियों को मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा स्वयं का परिचय देते हुए उनको कार्यालय पर बुलाने के मंतव्य से अवगत करवाते हुए परिवादी नेना राम द्वारा दिनांक 18.07.2026 को चौकी हाजा पर प्रस्तुत रिपोर्ट पढ़कर सुनाते हुए पढ़ने के लिए दी गई तथा डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड रिश्वत राशि वार्तालाप के महत्वपूर्ण अंश कार्यालय के लैपटॉप के माध्यम से सुनवाये गये। जिस पर उपरोक्त दोनों कर्मचारियों ने प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह के रूप में शामिल होने की सहमति प्रदान करते हुए परिवादी की लिखित शिकायत पर हस्ताक्षर किये गये। तत्पश्चात् वक्त 12.16 पी.एम. पर पूर्व का पाबंदशुदा परिवादी श्री नेना राम हाजिर चौकी आया, जिस पर उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहों को परिवादी नेना राम का परिचय देकर परिवादी को दोनों गवाहों का परिचय देकर आगामी कार्यवाही में दोनों बतौर स्वतंत्र गवाह कर्मचारी साथ में रहना बताया। तत्पश्चात् प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही करते हुए रिश्वती राशि की फर्द पेशकशी की कार्यवाही प्रारंभ की गई। परिवादी श्री नेना राम ने रूबरू गवाहान आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस को रिश्वत में दिये जाने वाले दस हजार रूपये भारतीय मुद्रा के पांच -पांच सौ रूपये के कुल बीस नोट मन् निरीक्षक पुलिस के समक्ष पेश किये गये, जिस पर उक्त सभी नोटों को पेश करने के क्रम में फर्द पेशकशी रिश्वती राशि एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थलीन एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सुपुर्दगी रिश्वति राशि बसिलसिले ट्रेप कार्यवाही

विरूद्ध श्री राजेन्द्र सिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना नाणा, जिला पाली मुर्तिब की गई। विस्तृत हालात फर्द में अंकित किये गये। तत्पश्चात् फर्द रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब करना प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात् वक्त 12.55 पी. एम. पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान दिनांक 18.07.2026 को आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस एवं परिवादी श्री नेना राम के मध्य रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की कार्यालय के लैपटॉप के माध्यम से श्री किशोर कुमार कानि. नंबर 436 की सहायता से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप तैयार की गई। जिसमें परिवादी एवं आरोपी के आवाज की पहचान परिवादी स्वयं द्वारा की गई। कार्यालय के लैपटॉप में लाईसेंस शुदा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, तथा उक्त एंटी वायरस सॉफ्टवेयर से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को स्कैन किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मालवेयर/वायरस नहीं पाया गया। तत्पश्चात् प्रकरण की वार्ता से संबन्धित रिकॉर्डर की वार्ता की फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर से हैश वैल्यू निकाली जाकर उक्त हैश वैल्यू शामिल फर्द की गई। फर्द पर संबन्धित सभी के हस्ताक्षर करवाये गये। विस्तृत विवरण फर्द में अंकित किया गया। तैयार की गई दोनों क्लोन पैन ड्राईव्ज एवं रिश्वती राशि मांग सत्यापन का मूल मैमोरी कार्ड का सीलशुदा पैकेट मालखाना प्रभारी श्री चेलाराम हैडकानि. नंबर 109 को सुपुर्द कर मालखाना में सुरक्षित जमा करवाई गई। वक्त 02.25 पी.एम. पर फर्द मुर्तिब करने के पश्चात प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में ब्यूरो स्टाफ के दल गठित कर वास्ते ट्रेप कार्यवाही रवानगी पुलिस थाना नाणा की तैयारी की गई तथा प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में गोपनीयता के लिहाज से प्राईवेट टैक्सी गाड़ी की जरिये दूरभाष तलबी की गई। ब्यूरो स्टाफ को ट्रेप कार्यवाही में वांछित आवश्यक सामग्री एवं साजो-सामान तैयार कर रवानगी की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् वक्त 02.30 पी.एम. पर श्रीमान के निर्देशानुसार मन् कुयाराम निरीक्षक पुलिस मय डिजीटल वॉईस रिकॉर्ड एवं परिवादी की मूल रिपोर्ट पत्रादि के दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री किशन राम वरिष्ठ सहायक, श्री सुनील कुमार मीणा पटवारी, परिवादी श्री नेना राम, ब्यूरो स्टाफ श्री रमेश कुमार कानि. नं. 119, श्रीमती ईशु कुंवर मकानि. नं. 157 एवं श्री चेला राम हैडकानि. मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप, प्रिन्टर, विडियो कैमरा, स्टेशनरी सामग्री एवं अन्य आवश्यक साजो-सामान के तलब शुदा प्राईवेट टैक्सी गाड़ी में एडवांस पार्टी के रूप में आगे-आगे रवाना हुआ तथा श्री रामेश्वरलाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही, श्री किशोर कुमार कानि. नंबर- 436, श्री महेन्द्र कुमार कानि. नंबर- 407 व ब्यूरो चालक श्री गणेश लाल कानि. नंबर 561 सरकारी बोलेरो वाहन से पीछे-पीछे बैक-अप पार्टी के रूप में पुलिस थाना नाणा, जिला पाली की तरफ रवाना होकर वक्त करीब 04.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के फिकरा उपरोक्त का रवाना शुदा सरहद नाणा पुलिस थाना के पास पंहुच साथी ट्रेप पार्टी के सदस्यों को आवश्यक हिदायत देकर प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही की कार्ययोजना तैयार कर आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह एएसआई की उपस्थिति ज्ञात करने के क्रम में परिवादी श्री नेना राम से आरोपी के मोबाईल फोन पर कॉल करवाया गया तो उसका मोबाईल फॉन स्वीच ऑफ आने पर उपरोक्तानुसार हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो से निवेदन किये गये, श्रीमान द्वारा फरमाये निर्देशानुसार परिवादी श्री नेना राम को वॉईस रिकॉर्डिंग डिवाईस चालू कर सुपुर्द कर पुलिस थाना नाणा में आरोपी को रिश्वत राशि देने के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। श्री रामेश्वर लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैक-अप पार्टी के रूप में एहतियातन गोपनीयता की दृष्टि से पुलिस थाना नाणा से दूर पिछे रास्ते में मुकिम रहे। वक्त करीब 05.12 पी.एम. पर रूबरू गवाहान श्रीमान के निर्देशानुसार मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो की डिजिटल वॉईस रिकॉर्डिंग डिवाईस चालू कर परिवादी श्री नेना राम को सुपुर्द कर आवश्यक समझाईश की जाकर आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह एएसआई को रिश्वती राशि देने हेतु पुलिस थाना नाणा में भेजा गया। मन् निरीक्षक पुलिस पुलिस थाना नाणा के मुख्य दरवाजे के सामने थोड़ी दूरी पर टैक्सी गाड़ी में सभी हमराहियान के साथ मुकिम रहा दोनों गवाहों एवं हमराहियान को परिवादी पर नजर रखने की हिदायत दी गई। कुछ समय पश्चात् वक्त करीब 05.18 पी.एम. पर परिवादी श्री नेना राम बिना कोई गोपनीय ईशारा किये पुलिस थाना नाणा से पैदल चलकर मन निरीक्षक पुलिस की टैक्सी गाड़ी के पास आया, जिसे गाड़ी में बैठाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया, पूछने पर परिवादी ने बताया कि मैं यहां से सीधा पुलिस थाने में गया जहां पुलिस थाने में मुझे एक महिला पुलिस वाली मिली जिससे मैंने राजेन्द्र सिंह जी एएसआई साहब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि राजेन्द्र सिंह जी एएसआई साहब आज कोर्ट में गये हुए है, वो देर शाम को या सुबह मिलेंगे तो आप बाद में आना। जिस पर पुलिस थाना से थोड़े दूर जाकर आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह एएसआई की उपस्थिति ज्ञात करने हेतु परिवादी से आरोपी को कॉल करवाने का निर्णय लिया जाकर वक्त करीब 05.22 पी.एम. पर आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह एएसआई की उपस्थिति ज्ञात करने के प्रयास के क्रम में परिवादी श्री नेना राम के मोबाईल नंबर से आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह एएसआई के मोबाईल नंबर पर कॉल करवाया गया तो आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी का कॉल अटैण्ड किया गया तथा परिवादी नेना राम को पहचानने से इनकार करते हुए बताया कि आप मुझे क्यों कॉल कर रहे हो आपका कोई मुकदमा मेरे पास जांच में नहीं है। उक्त वार्तालाप को ब्यूरो की डिजीटल वॉईस रिकॉर्डिंग डिवाईस में रिकॉर्ड की गई। तत्पश्चात् उपरोक्तानुसार हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही से निवेदन किये गये तथा परिवादी एवं आरोपी के मध्य जरिये दूरभाष हुए वार्तालाप से प्राथमिक तौर पर आरोपी द्वारा वर्तमान में परिवादी से रिश्वती राशि प्राप्त करने की संभावना क्षीण होने से श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही के निर्देशासार अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर पहुंच कर करने का निर्णय लिया जाकर मन्

निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के पूर्वोक्तानुसार टैक्सी गाड़ी से मय साजो-सामान के नाणा से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय सिरोही के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात् वक्त करीब 06.25 पी.एम. पर उपरोक्तानुसार कस्बा नाणा से रवानाशुदा मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर पहुंच ट्रेप बॉक्स एवं आवश्यक साजो-सामान कार्यालय में सुरक्षित रखकर व्यवस्थित करके अग्रिम विधिक कार्यवाही की तैयारी की तभी बैक-अप पार्टी के रूप में प्रस्थानगत श्री रामेश्वर लाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रनिब्यूरो मय जाप्ता के सरकारी वाहन बोलेरो से चौकी हाजा पर उपस्थित आये। वक्त करीब 06.40 पी.एम. पर रूबरू गवाहान मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पालना में अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए दिनांक 22.07.2026 को परिवादी द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस को रिश्वती राशि देने के प्रयास के क्रम में पुलिस थाना नाणा की महिला पुलिस कर्मी से की गई वार्तालाप एवं परिवादी तथा आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य जरिये दूरभाष हुई वार्तालाप, जो ब्यूरो के डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डेड है कि नियमानुसार फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब करना प्रारंभ की जाकर वक्त 08.30 पी.एम. पर रूबरू स्वतंत्र गवाहान दिनांक 22.07.2026 को आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस को परिवादी श्री नेना राम द्वारा रिश्वती राशि देने के प्रयास के क्रम में एवं परिवादी श्री नेना राम द्वारा पुलिस थाना नाणा की महिला पुलिसकर्मी से आरोपी की उपस्थिति ज्ञात करने बाबत की गई वार्तालाप एवं आज ही के रोज परिवादी नेना राम एवं आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस के मध्य जरिये मोबाईल फोन पर हुई वार्तालाप की फर्द ट्रांसक्रिप्ट कार्यालय के लैपटॉप के माध्यम से श्री किशोर कुमार कानि. नंबर 436 की सहायता से सुन-सुन कर शब्द ब शब्द टंकण कर तैयार की गई। जिसमें परिवादी एवं महिला पुलिस कर्मी व आरोपी के आवाज की पहचान परिवादी स्वयं द्वारा की गई। कार्यालय के लैपटॉप में लाईसेंस शुदा एंटी वायरस सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, तथा उक्त एंटी वायरस सॉफ्टवेयर से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को स्कैन किया, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मालवेयर/वायरस नहीं पाया गया। तत्पश्चात् प्रकरण की वार्ता से संबन्धित रिकॉर्डर की वार्ता की फाईल का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर से हैश वैल्यू निकाली जाकर उक्त हैश वैल्यू शामिल फर्द की गई। फर्द पर संबन्धित सभी के हस्ताक्षर करवाये गये। विस्तृत विवरण फर्द में अंकित किया गया। मुर्तिबा फर्द के अवलोकन एवं परिवादी से की गई रायशुमारी से पाया गया कि अभी आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह परिवादी श्री नेना राम से इस प्रकरण में रिश्वती राशि प्राप्त नहीं करेगा चूंकि वह सतर्क हो गया है। हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो सिरोही से निवेदन किये गये प्राप्त निर्देशों की पालना में अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही में आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह सतर्क हो जाने तथा परिवादी श्री नेना राम से आरोपी श्री राजेन्द्र सिंह एएसआई द्वारा रिश्वत प्राप्त करने की अब आगे कोई संभावना नहीं होने से आरोपी को रिश्वती राशि के रूप में देने के लिए परिवादी द्वारा पेश किये गये फिनॉफ्थलीन पाउडरयुक्त दस हजार राशि के बीस नोट परिवादी श्री नेना राम को पुनः लौटाये गये। मुर्तिबा सभी दस्तावेजात पर हस्ताक्षर करवाये जाकर परिवादी श्री नेना राम एव दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री किशन राम वरिष्ठ सहायक एवं श्री सुनील कुमार मीणा पटवारी को अपनी-अपनी सकूनत के लिए रवाना किये गये। प्रकरण हाजा में डिजीटल साक्ष्यों के रूप में संकलित रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की मूल मैमोरी कार्ड का सीलबंद पैकेट एवं खुली हालात में दोनों क्लॉन पैन ड्राईव्ज मालखाना प्रभारी श्री चेलाराम हैडकानि. नंबर 109 को सुरक्षित मालखाना में जमा कर रेकर्ड ईन्द्राज के लिए सुपुर्द किये गये। अतः आरोपी श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र छेलसिंह, जाति राजपुत, उम्र 45 साल, निवासी- मुकाम सुगालिया सिधंलान, पोस्ट कंवला, तहसील आहोर, जिला जालौर, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना नाणा जिला पाली राज0 द्वारा परिवादी श्री नेनाराम निवासी रेबारी वास गोरधनपुरा, पुलिस थाना नाणा जिला पाली राज0 से उसके परिवारिक सदस्यों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में मदद करने व नाम निकालने की एवज में अवैध रूप से दस हजार रूपयें की रिश्वत राशि कि मांग करने का अपराध घटित होना पाया जाने से आरोपी के विरूद्ध धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हेतू बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (कुयाराम) निरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सिरोही..........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कुयाराम, निरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र छेलसिंह, जाति राजपुत, उम्र 45 साल, निवासी- मुकाम सुगालिया सिधंलान, पोस्ट कंवला, तहसील आहोर, जिला जालौर, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना नाणा जिला पाली के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी मोहम्मद अनीफ, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पाली द्वितीय को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 220 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1520-23 दिनांक 16.09.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः- 1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली 2- पुलिस अधीक्षक, जिला पाली 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज जोधपुर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही। पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** MOHAMMAD HANIF **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 16/09/2026 17:38:25

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)